प्रेस विज्ञप्ति

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ शासनादेश संख्या 72/2023/2854/26–3–2023/सी0एन0–1741061 दिनांक 15 सितम्बर 2023 के निर्देशानुसार **शैक्षिक सत्र 2023–24 में सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्गो** के छात्र–छात्रओं हेतु दशोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11–12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) में संस्थाओं द्वारा सम्बंधित पाठयकमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों द्वारा आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त प्रकियागत कार्यवाही नियमावलियों में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार किये जाने हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छावृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) हेतु समय–सारणी
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1.	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना–** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी / नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थानों (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यकमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी / विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	**21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक**
2.	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी/ जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन –** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था , पाठ्यकम , पाठ्यकम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाईन सत्यापित करना।	**22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक**

छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन की कार्यवाही

3	**छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	**22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक**
4	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 दिवस कार्य दिवसों में–** छात्र–छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र–छात्रा की लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना।	**3 जनवरी 2024 तक**
5	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना–** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र–छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नो सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	**25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक**

6	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना–** छात्र–छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रो के आवेदन पत्रों को निरस्त करना तथा पात्र छात्रो के आवेदन को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	**25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक**
7	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यकम व संस्था को ब्लाक करना–** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यकम, पाठ्यकम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्रों की संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यकमों कों, सस्थाओं को ब्लाक करना।	**12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक**

अतः जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छावृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) में अध्ययनरत **सामान्य वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक वर्गो** के छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत निर्गत समय सारिणी का अपने अपने सस्थानों में सोशल मीडिया, नोटिस बोर्ड तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं द्वारा नियमानुसार आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर। O/C

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 380 /स0क0/प्रेस–विज्ञप्ति/सामान्य वर्ग/2023–24 दिनांक 19/9/23

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

6. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न छात्रवृत्ति समय सारणी की कार्यवाही हेतु सम्बंधित संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित की वह दैनिक समाचार पत्रों में **प्रेस विज्ञप्ति** निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. समस्त सम्बंधित संस्था प्रबन्धक/कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य/प्राचार्य जनपद गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ कि संस्थान में अध्ययनरत् छात्रों को छात्रवृत्ति संशोधित समय–सारणी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर। O/C

23

संख्या- 72/2023/ 2851 /26-3-2023/C.N.- 1741061

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2023

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2597/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्योरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**समयावधि**
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक

2023

2	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
3	**छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक
4	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 जनवरी, 2024 तक
5	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक
6	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र क़ी हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक
7	**नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन** छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक
8	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
9	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके	12 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक

	शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	
10	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	31 जनवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक
11	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	31 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
12	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2024 तक
13	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	13 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
14	**जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	04 मार्च, 2024 तक
15	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	10 मार्च 2024 तक
16	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 मार्च 2024 तक

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।

3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में

पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।

5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके।

6- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-

क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।

ख- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।

ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर।

7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Signed by रजनीश चन्द्र
Date: 13-09-2023 17:42:48
Reason: Approved